न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायर	तारीख आदेश
1/25	23.02.2024	24.11.2025

बउनवान

01. गंगा शर्मा पुत्री महावीर पत्नी देवेन्द्र शर्मा निवासी बीएसएनएल टावर के सामने मालाखेडा जिला अलवर, (मृतक घासी पुत्र रघुनाथ की पौत्री)

वादी/प्रार्थीया

बनाम

01. तहसीलदार तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राज०
02. उप पंजीयक तहसील मालाखेडा जिला अलवर
03. देवेन्द्र पुत्र श्रीबाबू
04. कुलदीप पुत्र रामवतार
05. पुष्पेन्द्र पुत्र श्रीबाबू
06. रेणूका पुत्री रामवतार
07. राधा देवी पत्नी रामवतार
08. शिवचरण पुत्र रघुवरदयाल
09. सतीश पुत्र रघुवरदयाल
10. सीता देवी पत्नी श्री बाबू निवासीयान किले के पास मालाखेडा जिला अलवर राज०

प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

01. महावीर उर्फ महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र घासी पुत्र रघुनाथ निवासी जगतपुरा, जयपुर हाल निवासी बीएसएनएल टावर के सामने मालाखेडा जिला अलवर (मृतक घासी पुत्र रघुनाथ का पुत्र)
02. रजनी पुत्री महावीर पत्नी अशोक शर्मा बीएसएनएल टावर के सामने मालाखेडा जिला अलवर राज० (मृतक घासी पुत्र रघुनाथ की पौत्री)

तरतीबी प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

निर्णय

वकील प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 10 ने दावा विचाराधीन रहते हुए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया, जिसका सार इस प्रकार हैं कि वादनी के द्वारा एक वाद खाता संख्या नया 860, पुराना 830 खसरा संख्या 311/2 रकबा 0.72 हैक्टेयर वाके ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा अन्तर्गतधारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया है, जबकि उक्त नम्बर के कोई खाता संख्या राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हैं। इसलिए कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता। वादिनी ने अपने वाद में खसरा नं0 311/2 रकबा 0.72 है0 का उल्लेख किया है। उक्त खसरा नंम्बर खाता संख्या नया 448 व

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

पुराना 860 में अंकित है। उक्त खाता हेतु वादिनी द्वारा वाद में कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वादिनी द्वारा घोषणा का वाद पेश किया गया है, जिसमे वादिनी द्वारा स्वयं के व तरतीबी प्रतिवादी 1 व 2 के नाम घोषणा चाही है। जबकि घासीराम के अन्य विधिक वारिस है। उनको पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है, इसलिए वादिनी द्वारा घासीराम की आराजी की घोषणा अपने नाम नहीं करवाई जा सकती।

मृतक घासीराम के विधिक वारिस निम्न प्रकार है :—(1) नमृदा (पत्नी) फौत (2) सत्यनारायण (पुत्र) फौत (3) महावीर (पुत्र) (4) ओमी (पुत्र) (5) मुन्ना (पुत्र) (6) रमेश (पुत्र) (7) शांती देवी (पुत्री) (8) शीला (पुत्री) (9) निर्मला (पुत्री) (10) सुमित्रा बेवा सत्यनारायण (फौत) , बंटी पुत्र सत्यनारायण, विमल पुत्र सत्यनाराण, सोनू पुत्र सत्यनारायण, कमल पुत्र सत्यनारायण, रेखा पुत्री सत्यनारायण है। जबकि वादिनी ने मात्र स्वयं, रजनी व महावीर को घासीराम के वारिस मानते हुए घोषणा चाही है। कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाए बिना घोषणा नहीं की जा सकती उक्त वाद में वादिनी द्वारा घासीराम के समस्त विधिक वारिसों को छोड़ते हुए मात्र स्वयं व अपनी बहन रजनी व अपने पिता के नाम घोषणा चाही है। जो खिलाफ कानून होने के कारण वाद खारिज फरमाया जायें। वादिनी ने घासीराम की आराजी से घोषणा चाही है, जो आराजी घोषणा करने योग्य नहीं है क्योंकि वादिनी द्वारा नामान्तरण कराने पर घासीराम की आराजी स्वतः ही घासीराम के वारिसों के नाम खातेदारी दर्ज हो जाएगी। इसलिए उक्त वाद में किसी प्रकार का कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने के कारण वाद वादी खारिज फरमाया जावे। और यदि किसी कारण वश वादिनी का इन्तकाल खारिज फरमाया जाता है तो वादिनी द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील पेश कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। उक्त आराजी वादिनी के पिता महावीर के नाम खातेदारी दर्ज नहीं है। तथा महावीर आज दिनाँक तक जीवित है। आराजी महावीर के नाम दर्ज नहीं होने तथा महावीर के जीवित रहते वादिनी के पक्ष में वाद अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते इसलिए वादिनी के पास विवादित आराजी में घोषणा करवाने का अधिकार नहीं होने के कारण वाद में कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता। वादिनी ने दावे के मद संख्या 10 में उल्लेख किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा आराजी को दिगर लोगों को रहन व हिबा के मुन्तकिल कर दिया जाएगा, निर्माण कार्य कर लिया जाएगा, पक्का रास्ता निकाल लिया जाएगा, उक्त तथ्य के आधार पर वाद हेतुक उत्पन्न होना बताया गया है। जबकि कोई भी प्रतिवादीगण घासीराम के 1/2 हिस्से को रहन व हिबा नहीं कर सकता इसलिए कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है, तथा उक्त आराजी राज्य सरकार द्वारा मालाखेड़ा से नटनी का बारा राज्य राजमार्ग संख्या 44 सड़क निर्माण हेतु अवाप्त कर ली गई है। इसकी सूचना वादिनी को भली भांति है, तथ्य छुपाते हुए वादिनी ने वाद पेश किया है। अवाप्त शुदा आराजी को रहन व हिबा किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए उक्त वाद में कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता। अतः वादिनी का वाद, वाद हेतुक उत्पन्न नही होने, आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने व वादिनी के पास वाद अधिकार नहीं होने के कारण वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब पेश नही करते हुए सीधे ही बहस करने हेतु निवेदन किया। वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 10 ने लिखित बहस पेश की।

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर उभय पक्ष की बहस सुनी।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उद्घोषणा के दावे मे खातेदार के समस्त वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है, वादी द्वारा अपने दावे में समस्त पक्षकारान को पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है। वाद में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

विवादित आराजी दावा दायरी से पूर्व राज्य राजमार्ग संख्या–44 के लिए अवाप्त की गयी थी, इसलिए विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण को कब्जा मौका नही होने के कारण कोई अधिकार शेष नहीं है। यदि कोई मुआवजे का विवाद है तो दावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहॉ रेफरेन्स पेश कर तय किया जाएगा। अतः वादी को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के तहत वादनी अनुसूची वर्ग–1 में नही आती है, इसलिए पिता के जीवित रहते दादा की सम्पत्ति में वादनी अपने अधिकार की घोषणा करवाने की अधिकारीनी नहीं है। अतः वादी को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने तथा दावा बार्ड बाई लॉ होने के कारण वाद खारिज फरमाया जावें। प्रतिवादीगण वकील द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के उनवान कृतिका जैन बनाम राकेश जैन cs(os)679/2024 and I.A. 37445/2024 निर्णय दिनांक 09.09.2025 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय उनवान मोरेशर यदाओ राव महाजन बनाम व्यकटेश सीताराम भेदी (D)Thr.Lrs. व अन्य CIVIL APPEAL NOS. 5755-5756 OF 2011 निर्णय दिनांक–27.09.2022 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

वादी वकील द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में घासीराम के वारिसानों का जो वर्णन दिया है, उसको प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार का साक्ष्य दस्तावेजात पेश नहीं किये है। विवादित आराजी का कुछ हिस्सा राजमार्ग के लिए अवाप्त हो चुका है, तथा कुछ अभी शेष है। हाल जमाबंदी में रिकॉर्ड धारी मृतक घासीराम का मुआवजा परिवार के वारिसों को मिल जाए तो इसमे प्रतिवादीगण को कोई हानि नही हैं क्योकि वादिनी व तरतीबी प्रतिवादीगण केवल मात्र अपने पूर्वज के हिस्से की जमीन में स्वयं को काश्तकार घोषित करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण के हिस्से या मुआवजे या जमीन से वादिनी व तरतीबी प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है। मृतक घासीराम द्वारा अपने जीवनकाल की अन्तिम अवस्था में विवादित आराजी अपने पुत्र तरतीबी प्रतिवादीगण महावीर एवं महावीर की दोनो पुत्रियों को सम्भला दिया था, जिस पर विवादित आराजी खसरा संख्या 311/2 पर अपने हिस्से 1/2 के अनुसार काबिज होकर वादिनी गंगा, तरतीबी प्रतिवादीगण ने उपयोग–उपभोग किया था क्याकि मौखिक रूप से विवादित आराजी पर वादनी व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने पूर्वज घासी के 1/2 हिस्से पर काबिज हो गए थे लेकिन रिकॉर्ड में आज भी मृतक घासी के नाम दर्ज हैं, इसलिए धारा–08 का लाभ प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं हो सकता। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–08 का लाभ तरतीबी प्रतिवादीगण महावीर व मृतक घासीराम के प्रार्थना–पत्र पर ही प्राप्त होता। प्रतिवादीगण को इस बात की भलीभांती जानकारी हैं कि उक्त विवादित आराजी पर काफी लम्बे अर्से से वादनी व तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में अंकित अभिवचनों तथा अभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। वादी द्वारा आराजी खाता संख्या नया 860 खसरा संख्या 311/2 रकबा 0.72 हैक्टेयर वाके ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा के खातेदार व वादी के दादा घासी पुत्र रघुनाथ के 1/2 हिस्से में से स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराने, अलग खाता कायम कराने व स्थायी निषेधाज्ञा अनुतोष चाहा है। खातेदार घासी पुत्र रघुनाथ दिनांक–07.06.1990 को मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र निधन हो चुका है, किन्तु विरासत नामान्तकरण अभी तक वर्तमान जमाबंदी में दर्ज नही हुआ है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा–8 के अनुसार–"पुरूष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम–निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरूष की इस संबंध इस अध्याय के उपाबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी'

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

(क) प्रथमतः उनवारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग–1 में विनिर्दिष्ट संबंधी है,

(ख) द्वितीयतः यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट संबंधी है,

(ग) तृतीयतः यदि दोनो वर्गो में से किसी मे का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को, तथा

(घ) अन्ततः यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक बन्धुओं को।

माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के उनवान कृतिका जैन बनाम राकेश जैन cs(os)679/2024 and I.A. 37445/2024 निर्णय दिनांक 09.09.2025 के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण यहाँ आवश्यक है, जिसके अनुसार :–

14. A perusal of the said provision indicates that in case a male Hindu dies intestate, leaving behind relatives/heirs specified in Class 1 of the Schedule to the HSA, his property shall devolve on the said relatives/heirs to the exclusion of all other persons. The Class I heirs specified in the Schedule are as follows:

"Son, daughter; widow; mother, son of a pre-deceased son daughter of a pre-deceased son: son of a pre-deceased daughter. daughter of a pre-deceased daughter, widow of a pre-deceased son: son of a pre-deceased son of a pre-deceased son, daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son, widow of a pre-deccesed son of a pre-deceased son son of a predeceased daughter ofa e deceased daughter: daughter of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter, daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter, daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased son."

15. It is pertinent to note that grandchildren, who are not children of a predeceased child, are not included in the list of Class-1 heirs. Therefore, if Section 8 is correctly appreciated, the suit property cannot be deemed to have devolved on the plaintiff upon the death of her paternal grandfather, her father being alive at the time of death of the grandfather. The suit property devolved solely on the defendants and their mother. Thereafter, upon the death of the defendants' mother, her share in the suit property devolved similarly, under Section 15 (1) (a) of the HSA, solely on the defendants.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनवान Moreshar Yadaorao Mahajan vs Vyankatesh Sitaram Bhedi(D) civil appeal nos. 5755-5756 of 2011, निर्णय दिनांक 27.09.2022 के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण यहाँ आवश्यक है, जो इस प्रकार है :–

"15. A "necessary party" is a person who ought to have been joined as a party and in whose absence no effective decree could be passed at all by the court. If a "necessary party" is not impleaded, the suit itself is liable to be dismissed. A "proper party" is a party who, though not a necessary party, is a person whose presence would enable the court to completely, effectively and adequately adjudicate upon all matters in dispute in the suit, though he need not be a person in favour of or against whom the decree is to be made. If a person is not found to be a proper or necessary

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

arty, the court has no jurisdiction to implead him, against the wishes of ne plaintiff. The fact that a person is likely to secure a right/interest in a uit property, after the suit is decided against the plaintiff, will not make uch person a necessary party or a proper party to the suit for specific erformance."

8. It could thus be seen that a "necessary party" is a person who ought o have been joined as a party and in whose absence no effective decree ould be passed at all by the court. It has been held that if a "necessary arty" is not impleaded, the suit itself is liable to be dismissed.

पत्रावली में खातेदार मृतक घासी पुत्र रघुनाथ के विधिक वारिसानो को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा विधिक वारिसानों के अधिकारों के अस्तित्व में रहते हुए वादी को कोई अधिकार सृजित नहीं होते है। माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली उनवान कृतिका जैन बनाम राकेश जैन cs(os)679/2024 and I.A. 37445/2024 निर्णय दिनांक 09.09.2025 नजीर यहां पूर्णतया चस्पा होती है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 के (क) वाद हेतुक उत्पन्न न होने पर खारिज किया जाता है।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक–24.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)